

//1// दाण्डिक प्रकरण कमांक-107/15
Filling number 235103004792015

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण कमांक-107/15
संस्थित दिनांक-27.06.2015
Filling number 235103004792015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1. इन्द्रभान सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 37 साल 2. जयदेव पुत्र रामनारायण दुबे उम्र 148 साल निवासीगण:- ग्राम प्राणपुर चंदेरी अशोकनगर
.....आरोपीगण

: : निर्णय : :

(आज दिनांक- 18.07.2017 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त **इन्द्रभान** के विरुद्ध धारा 279, 337 भा0द0वि0 एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 06.03.2015 को समय रात 9:30 बजे के लगभग थाना चंदेरी ग्राम प्राणपुर स्थित घटिया राजघाट रोड पर मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क0 एमपी08 जे 7520 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत अरविन्द को टक्कर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस के चलाया एवं उक्त वाहन के बिना बीमा कराए चलाया। अभियुक्त **जयदेव** के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 06.03.2015 को समय रात 9:30 बजे के लगभग थाना चंदेरी ग्राम प्राणपुर स्थित घटिया राजघाट रोड पर मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क0 एमपी08 जे 7520 को चालक इन्द्रभान के पास बिना ड्रायविंग लायसेंस होने वाली बात जानकर भी उक्त वाहन चलाने

को दिया तथा उक्त वाहन हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क्र0 एमपी08 जे 7520 को बिना बीमा कराए चलवाया।

02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 18.07.2017 को फरियादी/आहत व आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी इन्द्रभान को धारा 337 भा0द0वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी/आहत ने यशपाल यादव, धनुष पाल के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.03.2015 की रात करीब 9:30 बजे की बात है वह वीरभान की मोटरसाईकिल में बैठकर चंदेरी से अपने गाँव जा रहा था। मोटरसाईकिल वीरभान चला रहा था और वह पीछे बैठा था कि जैसे ही प्राणपुरा की घाटी पर आए कि प्राणपुर तरफ से इन्द्रभान यादव बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता आया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने व दाहिने पैर के पंजे पर मुंदी चोट आई तथा वीरभान को भी चोटे आई है। मोटरसाईकिल पप्पू महाराज प्राणपुरा की है जिसे इन्द्रभान चला रहा था और पप्पू पीछे बैठा था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क्र0 एमपी08 जे 7520 को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्तगण परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्त इन्द्रभान के द्वारा दिनांक 06.03.2015 को समय रात 9:30 बजे के लगभग थाना चंदेरी ग्राम प्राणपुर स्थित घटिया राजघाट रोड पर मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क्र0 एमपी08 जे 7520 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
----	--

2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस के चलाया एवं उक्त वाहन के बिना बीमा कराए चलाया ?
3.	क्या अभियुक्त जयदेव के द्वारा दिनांक 06.03.2015 को समय रात 9:30 बजे के लगभग थाना चंदेरी ग्राम प्राणपुर स्थित घटिया राजघाट रोड पर मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क्र0 एमपी08 जे 7520 को चालक इन्द्रभान के पास बिना ड्रायविंग लायसेंस होने वाली बात जानकर भी उक्त वाहन चलाने को दिया ?
4.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन हीरो होन्डा सीडी 100 एसएस क्र0 एमपी08 जे 7520 को बिना बीमा कराए चलवाया

// विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2, 3 व 4 //

06. विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2, 3 व 4 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। अरविन्द अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 2 साल पहले की होकर रात 9-10 बजे की है। घटना दिनांक को वह वीरभान की मोटरसाईकिल पर बैठकर चंदेरी से अपने गाँव जा रहा था।

07. अरविन्द अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि मोटरसाईकिल को वीरभान चला रहा था और वह पीछे बैठा था, जैसे ही हम लोग प्राणपुर की घटिया पर आए, प्राणपुर की तरफ से इन्द्रभान यादव उसकी मोटरसाईकिल से आ रहा था, इन्द्रभान ने लाईट की चकाचौंद में हमारी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने व पैर के पंजे में मुंदी चोट आ गई थी तथा टक्कर लगने से वीरभान को भी चोटे आई थी। उक्त बात का समर्थन वीरभान अ0सा0 2 ने भी उसके न्यायालयी कथनों में किया। उक्त घटना के संबंध में अरविन्द अ0सा01 ने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी घटना का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08. अभियोजन अधिकारी ने फरियादी/आहत अरविन्द अ0सा01 एवं चक्षुदर्शी साक्षी वीरभान अ0सा02 से सूचक प्रश्न एवं वे सभी प्रश्न जो प्रतिपरीक्षण द्वारा प्रतिपरीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछने पर उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया कि कि इन्द्रभान यादव उसकी मोटरसाईकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था। साक्षी अरविन्द अ0सा01 को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। अरविन्द अ0सा01 ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में फरियादी अरविन्द अ0सा01 एवं वीरभान अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल को अभियुक्त इन्द्रभान द्वारा चलाया जाना व्यक्त किया है तथा उक्त साक्षीगण के साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है और उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अखण्डनीय रही है जिससे यह प्रमाणित है कि घटना के समय जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जे 7520 को आरोपी इन्द्रभान चला रहा था किन्तु अभियोजन साक्षी अरविन्द, वीरभान की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि मोटरसाईकिल का चालक इन्द्रभान मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न हुआ हो।

10. उल्लेखनिय है कि अभियोजन साक्षी अरविन्द अ0सा01 एवं वीरभान अ0सा02 ने उनकी साक्ष्य में घटना के समय जप्तशुदा मोटरसाईकिल को आरोपी इन्द्रभान द्वारा चलाया जाना व्यक्त किया है एवं स्वयं अभियुक्त इन्द्रभान द्वारा उसके अभियुक्त परीक्षण के प्रश्न 5 में भी इस बात को सही बताया है कि टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल को वह चला रहा था। ऐसी स्थिति में घटना, दिनांक समय एवं लोक मार्ग पर प्रश्नगत वाहन एमपी08 जे 7520 को चलाने के संबंध में अभियुक्त इन्द्रभान के पास वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा था।

11. उक्त तथ्य विशिष्ट तथ्य होने के आलोक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उसे साबित करने का भार अभियुक्त

पर है और अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को उसके पास वैद्य चालन अनुज्ञप्ति, बीमा होने के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही तद्दिनांक को अभियुक्त के पास वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व लोक मार्ग पर उक्त वाहन को बिना वैद्य चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा के चलाया तथा अभियुक्त जयदेव इस तथ्य को जानते हुए कि अभियुक्त इन्द्रभान के पास वाहन चालन का ड्रायविंग लायसेंस नहीं है और जप्तशुदा वाहन बीमित नहीं होने के बावजूद भी इन्द्रभान से चलवाया जाना प्रमाणित है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त इन्द्रभान के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279 प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त इन्द्रभान को धारा 279 भा0द0स0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु अभियोजन अभियुक्त इन्द्रभान के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त इन्द्रभान के द्वारा मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जे 7520 को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा के चलाया। अतः आरोपी इन्द्रभान को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 के अन्तर्गत **200/— रुपये** के जुर्माना से दण्डित किया जाता है जुर्माने की राशि अदा न करने पर 7 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे एवं धारा 146/196 के अन्तर्गत **500/— रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

13. अभियोजन अभियुक्त जयदेव के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 एवं 146/196 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः आरोपी जयदेव को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के अन्तर्गत **500/— रुपये** के जुर्माना से दण्डित किया जाता है जुर्माने की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे एवं धारा 146/196 के अन्तर्गत **500/— रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

14. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जे 7520 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि

//6// दाण्डिक प्रकरण कमांक-107/15
Filling number 235103004792015

पश्चात भारमुक्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

15— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

16— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//7// दाण्डिक प्रकरण कमांक-107/15
Filling number 235103004792015